संख्या: 09/2021/397/12-2-2021-बजट.4/2016

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2021

विषय: नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: एस 2106/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2020-21 दिनांक 21 जनवरी, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0102-नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्राविधानित धनराशि रूपये 450.00 करोड के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 100.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-110-फसल बीमा-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0102-नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्राविधानित धनराशि रूपये 450.00 करोड के सापेक्ष अवशेष रूपये 100.00 करोड (रूपये एक अरब मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मदों एवं परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) सामग्री क्रय में एम0एस0एम0ई0, वित्त एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/प्रक्रिया का नियमानुसार अनुपालन किया जाये।

(5) योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो।

(6) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020, 07 अप्रैल, 2020, 11 अप्रैल, 2020 एवं 18 मई, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

(8) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(9) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) स्वीकत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(12) आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि उपलब्ध बजट सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का दायित्व होगा।

2. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

संख्या: 09/2021/397(1)/12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/आय-व्ययक-1/2/कृषि अनुभाग-5
8. गार्ड फाईल।

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।